





माह अगस्त के उत्तर मध्य रेलवे/रे.सु.ब. प्रयागराज के चयनित अच्छे कार्य निम्नवत है:-

क्र. सं.	मण्डल	विवरण	फोटो																		
01.	प्रयागराज	<p>रे.सु.ब.पोस्ट-मिर्जापुर दिनांक 18.08.2022 को का. दिनेश प्रसाद यादव, कां. राजीव सिंह रे.सु.ब. आउट पोस्ट विन्ध्याचल तथा उपनिरीक्षक राजेन्द्र यादव तथा हेड कां. मोहन यादव जीआरपी/विन्ध्याचल द्वारा रेलवे स्टेशन विन्ध्याचल के टीनसेड प्रतीक्षालय के पास से एक शातिर अभियुक्त शिवांसू द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 4620/- रुपये नकद व 07 अदद चोरी के भिन्न-भिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शिवांसू द्विवेदी की गिरफ्तारी व सुसंगत धाराओं में चालान कर माननीय न्यायालय भेजा गया।</p> <p>अभियुक्त का नाम पता- शिवांसू द्विवेदी उर्फ राज पुत्र प्रदीप कुमार, उम्र-23 वर्ष, निवासी-सोरांव थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज।</p> <p>पंजीकृत अभियोग 01. मु.अ.सं. 70/22 धारा 411/414 भा.द.वि. जीआरपी मिर्जापुर।</p> <p>अनावरित अभियोग- मु.अ.सं. 69/22 धारा 379/411 भा.द.वि. जीआरपी मिर्जापुर।</p> <p>माल बरामदगी का विवरण- अभियुक्त के कब्जे से मु.अ.सं. 69/22 धारा 379/411 भा.द.वि. से सम्बन्धित रूपये 4620/- नकद व 07 अदद चोरी के भिन्न-भिन्न कंपनियों के मोबाइल गिरफ्तार करने वाली टीम-</p> <p>01. का. दिनेश प्रसाद यादव आरपीएफ पोस्ट विन्ध्याचल। 02. कां. राजीव सिंह आरपीएफ पोस्ट विन्ध्याचल। 03. उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद यादव जीआरपी विन्ध्याचल। 04. हे.का. मोहनलाल यादव जीआरपी विन्ध्याचल।</p>																			
02.	झांसी	<p>रे.सु.ब. पोस्ट-लोको झांसी दिनांक 27.08.2022 को स0उ0निरी0 रणविजय कुमार मौर्या, प्र0आर0 नागेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा एक व्यक्ति को एक 5 साल की बच्ची को लेकर भागते हुए पकड़ा गया। लड़की के पिता रविंद्र सिंह पुत्र डालचंद निवासी-सिलोरी, थाना-टहरौली, जिला-झांसी मो.नं. 8957432059 ने पूछताछ करने पर बताया कि काम की तलाश में इलाहाबाद जाने के लिए स्टेशन पर आया था और अपने छोटे बच्चे को दवा पिलाने में व्यस्त थे इसी दौरान उक्त व्यक्ति बच्ची को लेकर भागने लगा। उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रेमनाथ श्रीवास, निवासी-पुरानी मऊ, थाना-मऊरानीपुर, जिला-झांसी बताया। जीआरपी महोबा में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अ.क्र. 20/22 आईपीसी धारा 363 पंजीकृत किया गया। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध 11 मामले विभिन्न धाराओं में मऊरानीपुर थाने में लंबित हैं।</p>																			
03.		<p>रे.सु.ब. पोस्ट सूबेदारगंज- दिनांक 03.08.2022 को रे0सु0ब0 पोस्ट सूबेदारगंज व सीआईबी (डिटैक्टिव विंग) प्रयागराज द्वारा चमनगंज मंझनपुर में कर्बला के पास स्थित दुकान ALI TOUR AND TRAVELS पर 01 व्यक्ति को 16 पर्सनल यूजर आईडी पर अवैध रूप से रेल यात्रा ई-टिकट बनाकर बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया।</p> <p>आरोपी का नाम पता- मोहम्मद मुसरत अली, पुत्र अनवर अली, उम्र-29 वर्ष, निवासी-चमनगंज मंझनपुर, थाना-मंझनपुर, जिला-कोशाम्बी। आईआरसीटीसी एजेन्ट आईडी-1.WAKBRPL09781</p> <p>पर्सनल यूजर आईडी0-</p> <table border="0"> <tr> <td>1. alitourism1993,</td> <td>2. CHUHA1,</td> <td>3. IRF1</td> </tr> <tr> <td>4. JUNK2013,</td> <td>5. Khushbubano,</td> <td>6. MANJHA2020,</td> </tr> <tr> <td>7. MANJHA202,</td> <td>8. MANJHA2022,</td> <td>9. nielson098,</td> </tr> <tr> <td>10. SADIKAA,</td> <td>11. SER1203,</td> <td>12. SHAHI96,</td> </tr> <tr> <td>13. train9984,</td> <td>14.ZAYX,</td> <td>15. ali9984,</td> </tr> <tr> <td>16. kguh752</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>पर्सनल यूजर आईडी0 से बनाये गए जब्त ई-टिकटों का ब्योरा:- भविष्य यात्रा के 01 ई-टिकट कीमत 1268.60/- व पूर्व की यात्रा के 22 ई-टिकट कीमत 53086.05/-।</p> <p>जब्त सामग्री:- 01 लेनेवो लैपटाप, 01 वीवो मोबाइल, 1 छोटी डायरी व एक नीले रंग की कापी व 500/रु0 नगद।</p>	1. alitourism1993,	2. CHUHA1,	3. IRF1	4. JUNK2013,	5. Khushbubano,	6. MANJHA2020,	7. MANJHA202,	8. MANJHA2022,	9. nielson098,	10. SADIKAA,	11. SER1203,	12. SHAHI96,	13. train9984,	14.ZAYX,	15. ali9984,	16. kguh752			
1. alitourism1993,	2. CHUHA1,	3. IRF1																			
4. JUNK2013,	5. Khushbubano,	6. MANJHA2020,																			
7. MANJHA202,	8. MANJHA2022,	9. nielson098,																			
10. SADIKAA,	11. SER1203,	12. SHAHI96,																			
13. train9984,	14.ZAYX,	15. ali9984,																			
16. kguh752																					

		<p>कृत कार्यवाही:- उक्त आरोपी के विरुद्ध रे0सु0ब0 पोस्ट सूबेदारगंज पर अ0क्र0 114/2022 अन्तर्गत धारा 143 रेलवे एक्ट पंजीकृत किया गया।</p> <p>गिरफ्तार करने वाली टीम-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निरीक्षक पी.के. ओझा सीआईबी (डि.वि.) प्रयागराज 2. उपनिरीक्षक धीरज ढांडा रे.सु.ब. पोस्ट सूबेदारगंज 3. सहायक उपनिरीक्षक शिवनरेश यादव सीआईबी (डि.वि.) प्रयागराज 4. हेड कां. जुगोन्द्र पाल सिंह सीआईबी (डि.वि.) प्रयागराज। 	
04.	आगरा	<p>रे.सु.ब.पोस्ट- आगरा छावनी दिनांक 29.08.2022 को उ.नि. देवेन्द्र सिंह सोलंकी/रे.सु.ब. पोस्ट आगरा छावनी, आरक्षक राजवीरसिंह/सीपीडीएस टीम), आरक्षक नदीमखान/सीपीडीएस टीम, महिला आरक्षी नीरजपाल रे.सु.ब.पोस्ट आगरा एवं उपनिरीक्षक अरविन्द आर्य/जीआरपी आगरा मय स्टाफ के द्वारा अपराधिक रोकथाम व गस्त के दौरान आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया टिन सेट से 2 महिलाओं को ट्राली बैगो के साथ पकड़ा गया। दोनो महिलाओं के बैग को चेक करने पर कुल 20.00 कि0ग्रा0 गांजा बरामद हुआ।</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. इम्तियाज बानो पुत्री शेख नजाकत अली, उम्र-23 वर्ष, निवासी-टटै स्कूल में व्यास कॉलोनी, थाना-बीकानेर, जिला-बीकानेर (राज.), हाल पता-निवासी 12/22 चौक नोयडा पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, थाना-चौक नोयडा, 02. सुमन नेपाल पुत्री रामबाबू भेदई पाल, निवासी-10/136 ग्राउंड फ्लोर भूतिया वास, स्मार्ट इंडिया, गोपीपूरा, सूरत (गुजरात) हाल निवासी-वसंतगली विकासनगर, थाना-नौबस्ता, कानपुर नगर <p>पंजीकृत अभियोग का विवरण :- मु.अ.सं. 232/2022, 233/2022 धारा 8/20 (एनडीपीएस एक्ट)। बरामद गांजे 20.00 कि0ग्रा0 की अनुमानित कीमत रुपये 2,00,000/-।</p>	
05.		<p>रे.सु.ब. पोस्ट-ग्वालियर दिनांक 07.08.2022 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुखबिर खास की सूचना पर मुरार पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए हुलिए के आधार पर बड़ा गाँव पुल के पास दो व्यक्तियों को मय 50 किग्रा0 नाजायज गांजे के साथ पकड़ा गया। अभियुक्तों ने बताया कि वे उत्कल कलिंगा एक्सप्रेस द्वारा खुर्दा रोड ओड़िसा से गांजा लेकर आये थे तथा ग्वालियर में बेचने की फिराक में थे।</p> <p>अभियुक्तों का विवरण-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. राजाराम कुमार पुत्र महेंद्र प्रसाद, उम्र-29 वर्ष, निवासी-पंडकर, जिला-पटना, बिहार। 02. जावेद अंसारी पुत्र नेयाज अंसारी, उम्र-28 वर्ष, निवासी-मानिकपुर, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार। <p>गिरफ्तार करने वाली टीम-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत सीपीडीएस टीम 2. प्रधान आरक्षक अनिल कुमार सिंह ग्वालियर 3. प्रधान आरक्षक दीपेंद्र सिंह भदौरिया सीपीडीएस टीम 4. आरक्षक शकील खान सीपीडीएस टीम 5. आरक्षक राजकुमार सिंह तोमर सीपीडीएस टीम <p>बरामद गांजे 50 किग्रा0 कुल कीमत लगभग रुपये 10,00,000/-।</p> <p>कृत कार्यवाही-अभियुक्तों को मुरार पुलिस थाने में सुपुर्द किया गया।</p>	